अध्याय V: तटरक्षक

5.1 भारतीय तटरक्षक द्वारा विलम्ब शुल्क का परिहार्य भुगतान

भारतीय तटरक्षक ने मंत्रालय द्वारा स्वीकृत शर्तों का महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भुगतान शर्तों के साथ मिलान नहीं किया, जिससे ₹3.74 करोड़ के विलम्ब शुल्क का भुगतान करना पड़ा जिसमें ₹3.97 करोड़ की शेष राशि का भुगतान करने में देरी के कारण ₹0.98 करोड़ का विलम्ब शुल्क भी शमिल है। ₹0.33 करोड़ के सेवा शुल्क का भुगतान करने में देरी के कारण ₹0.45 करोड़ के ब्याज का भुगतान भी परिहार्य था। इसके अतिरिक्त, ₹4.19 करोड़ की इन कुल राशियों का भुगतान करने के लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सी.एफ.ए) की स्वीकृति नहीं ली गई।

सामान्य वित्तीय नियमावली में यह प्रावधान है कि कोई भी प्राधिकारी कोई भी व्यय नहीं कर सकता अथवा सरकारी खाते में खर्च करने के लिए कोई देयता स्वीकृत नहीं कर सकता जब तक कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता। साथ ही, वित्तीय नियमावली में प्रावधान है कि संविदा की शर्तें संक्षिप्त एवं निश्चित होनी चाहिए एवं उनमें अनिश्चितता अथवा विपरीत अर्थ वाले शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सामान्य नियमों में आगे यह भी प्रावधान है कि उन स्थितियों में भी जहाँ विधिवत लिखित संविदा नहीं की गयी है, कम से कम कीमत के बारे में एक लिखित अनुबन्ध के बिना कोई भी आपूर्ति आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।

तटरक्षक के मार्च 1997 के 224 घरों के अधिग्रहण के प्रस्ताव के आधार पर, रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) ने सितम्बर 1997 एवं मार्च 1999 में 79 एवं 144 घरों की क्रमशः ₹19.13 करोड़ एवं ₹15.90 करोड़ की कुल लागत पर खरीद हेतु दो संस्वीकृतियां प्रदान की। स्वीकृतियों में राज्य सरकार को देय, संस्वीकृति में वर्णित दरों पर अथवा मुम्बई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास बोर्ड, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) के अन्तर्गत एक इकाई द्वारा समय-समय पर संशोधित दरों के अनुसार भूमि के पट्टे, गैर कृषि कर निर्धारण शुल्क आदि के भुगतान का प्रावधान था। तदनुसार, तटरक्षक ने इन घरों को खरीदा एवं दिसम्बर 1997 में 79 घर एवं मई 1999 में 144 घरों को ले लिया।

हमारी जांच (जून 2012 एवं मई 2014) में पाया गया कि उपरोक्त वर्णित वित्तीय सिद्धान्तों का पालन न करने से तटरक्षक द्वारा विलम्ब शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ :

1) सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना विलम्ब शुल्क का परिहार्य भुगतान

प्रारम्भ में, तटरक्षक ने (जून 1998) ₹19.87 करोड़ के मूल्य में से 10 प्रतिशत प्रस्तावित छूट घटाकर ₹17.89 करोड़ की शुद्ध लागत पर 144 घरों को खरीदने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंत्रालय में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, मंत्रालय द्वारा कीमतों की न्यायता की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई (नवम्बर 1998)। समिति ने संस्तुति की (मार्च 1999) कि म्हाडा को घरों पर कम से कम 20 प्रतिशत की छूट देने के लिए कहा जाए क्योंकि मुम्बई में सम्पत्तियों की कीमतें गिर रही है। मंत्रालय द्वारा यह भी निर्णय लिया गया (मार्च 1999) कि भुगतान दो किश्तों में किया जाएगा अर्थात् 50 प्रतिशत भुगतान वर्ष 1998-99 एवं शेष भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में घरों के सभी दोष ठीक करने के बाद किया जाएगा। तदनुसार, तटरक्षक ने म्हाडा को उद्धृत मूल्य पर 20 प्रतिशत छूट देने के लिए निवेदन किया (मार्च 1999) किन्तु, मंत्रालय द्वारा भुगतान शर्तो के संबंध में निर्धारित स्थिति अर्थात् 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त म्हाडा द्वारा घरों में कमियों को दूर करने के बाद देय होगी, को म्हाडा को सूचित नहीं किया गया।

मार्च 1999 में, म्हाडा ₹19.87 करोड़ के कुल मूल्य में 20 प्रतिशत की छूट इस शर्त पर देने के लिए सहमत हुआ कि घरों का पूरा भुगतान 31 मार्च 1999 से पहले कर दिया जाए। म्हाडा ने विशेषतया कहा कि 20 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने के लिए तटरक्षक को कमियों को दूर करने तक इन्तजार नहीं करना चाहिए। म्हाडा के इस अंतिम प्रस्ताव के आधार पर (मार्च 1999), मामला रक्षा सचिव की सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के रूप में स्वीकृति के लिए मंत्रालय में भेजा गया। किन्तु, सक्षम वित्तीय प्राधिकारी को 20 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने के लिए म्हाडा द्वारा निर्धारित भुगतान की शर्तों के बारे में नहीं बताया गया। सक्षम वित्तीय प्राधिकारी ने प्रस्ताव को अनुमोदित किया (मार्च 1999) एवं ₹15.90 करोड़ की लागत पर 144 घरों को खरीदने की संस्वीकृति प्रदान की जिसमें घरों के हस्तांतरण के समय लागत का 75 प्रतिशत एवं शेष 25 प्रतिशत कमियों को दूर करने के बाद अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान की शर्त थी।

हमने पाया (मई 2014) कि यद्यपि मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत भुगतान की शर्तें म्हाडा द्वारा प्रस्तावित शर्तों से भिन्न थी, तटरक्षक न तो यह तथ्य म्हाडा की जानकारी में लाए, और न ही उन्होंने भुगतान की संस्वीकृत शर्तों की म्हाडा के साथ चर्चा की। म्हाडा की विक्रय मूल्य से संबंधित शर्तों को म्हाडा ने मई 1999 में घरों को तटरक्षक को देते समय पुनः दोहराया। आगे,

घरों की बिक्री की शर्तों में प्रावधान था कि "प्रस्ताव में दिए गए निर्धारित समय से किसी किस्त के भुगतान में देरी पर, आबंटी उस विशिष्ट किस्त के देरी के समय के लिए 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा"।

इसके पश्चात्, मंत्रालय की संस्वीकृति के अनुसार, तटरक्षक ने मार्च 1999 में विक्रय मूल्य के 75 प्रतिशत की प्रथम किस्त की ₹11.92 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया एवं म्हाडा की शर्तों को अनदेखा करते हुए शेष ₹3.97 करोड़ की राशि जो कि कमियों को पूरा करने के बाद दी जानी थी, को रोक लिया। म्हाडा द्वारा अगस्त 2003 में कमियों को दूर करने के बाद, तटरक्षक के कार्य अधिकारी (एल.ए.एंड ओ.) ने सितम्बर 2003 में म्हाडा को शेष राशि का भुगतान करने की प्रार्थना की जिसे महानिदेशक तटरक्षक ने अक्टूबर 2003 में अनुमोदित किया। मंत्रालय से ₹3.97 करोड़ की दूसरी किस्त के भुगतान की संस्वीकृति केवल मार्च 2004 में प्राप्त की जा सकी एवं म्हाडा को शेष राशि का भुगतान फरवरी 2005 में किया गया। साथ ही म्हाडा से शेष राशि की मांग के बारे में मार्च 1999 से फरवरी 2005 के दौरान कोई पत्राचार लेखों में नहीं पाया गया।

अप्रैल 2006 में, यद्यपि, म्हाडा ने 02 अप्रैल 1999 से 17 फरवरी 2005 की समयावधि के लिए ₹3.97 करोड़ की शेष राशि पर 16 प्रतिशत वार्षिक दर से ₹3.74 करोड़ के विलम्ब शुल्क की मांग की। तटरक्षक ने, नवम्बर 2007 में, म्हाडा से रक्षा संगठन होने के आधार पर विलम्ब शुल्क छोड़ देने की प्रार्थना की। रक्षा संपदा अधिकारी (डी.ई.ओ.) मुम्बई ने भी उन्हीं कारणों के आधार पर म्हाडा से (फरवरी 2008) विलम्ब शुल्क को छोड़ देने की प्रार्थना की। यद्यपि, म्हाडा इस विलम्ब शुल्क को छोड़ने के लिए सहमत नहीं हुआ। अंततः, मार्च 2008 में, तटरक्षक मुख्यालय के मार्च 2008 में निधियों के जारी करने के आधार पर डी.ई.ओ. ने म्हाडा को ₹3.74 करोड़ के विलम्ब शुल्क का भुगतान कर दिया। आगे, 1997 तथा 1999 में खरीदे गए घरों के लिए म्हाडा के साथ कोई सेल डीड एवं लीज़ डीड क्रमशः जुलाई 2012 तथा दिसम्बर 2013 तक हस्तांतरित नहीं की गई थी। लीज़ डीड की वर्तमान स्थिति (सितम्बर 2014) इन्फ्रा एवं वर्क्स निदेशालय, तटरक्षक मुख्यालय नई दिल्ली से अपेक्षित है।

हमने पाया (मई 2014) कि इन घरों की खरीद के भुगतान की प्रस्तावित एवं स्वीकृत शर्तों में भिन्नता के परिणामस्वरूप विलम्ब शुल्क के भुगतान की देयता स्वीकार की गई जिसके कारण विलम्ब शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ। यद्यपि, यह नहीं किया गया। यदि अगस्त 2003 में कमियों को दूर करने के बाद जब घर दिए गए थे तभी ₹3.97 करोड़ की राशि का तुरन्त भुगतान कर दिया गया होता, तो ₹0.98 करोड़ (₹3.74 करोड़ में शामिल) के भुगतान से बचा जा सकता था। म्हाडा को ₹3.97 करोड़ की शेष राशि का भुगतान केवल फरवरी 2005 में किया गया अर्थात् कमियों को दूर करने के 18 महीनों के बाद, जबकि यह पहले से पता था 16 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलम्ब शुल्क के भुगतान का प्रावधान है, तटरक्षक ने दुसरी

किस्त के भुगतान के लिए 18 महीने (2 अगस्त 2003 से 17 फरवरी 2005) का समय लिया जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के लिए म्हाडा को ₹0.98 करोड़ (₹3.74 करोड़ का भाग) के विलम्ब शुल्क का भुगतान करना पड़ा। इसके अलावा, तटरक्षक द्वारा म्हाडा को ₹3.74 करोड़ के विलम्ब शुल्क का भुगतान करने के लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की संस्वीकृति नहीं प्राप्त की गई। चूंकि, मार्च 1999 में घरों के अधिग्रहण हेतु सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा दी गई संस्वीकृति विलम्ब शुल्क के भुगतान के कारण संशोधित हो गई थी, सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की एक संशोधित संस्वीकृति की आवश्यकता थी।

2) सेवा शुल्क पर ₹0.45 करोड़ के आवंटन ब्याज का परिहार्य भुगतान

म्हाडा के द्वारा तटरक्षक को घरों के आवंटन के प्रस्ताव पत्र में निर्धारित दरों पर या म्हाडा द्वारा समय-समय पर संशोधित दरों पर लीज़ रेन्ट एवं गैर कृषि निर्धारण शुल्क के भुगतान का प्रावधान था। मंत्रालय द्वारा 1997 एवं 1999 में प्रदान की गई संस्वीकृतियों में भी इन भुगतानों का प्रावधान था।

तटरक्षक ने इन सेवा शुल्कों का म्हाडा को जुलाई 2007 तक भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप, म्हाडा ने 223 घरों पर जूलाई 2007 तक अदत्त सेवा शुल्क (लीज़ रेन्ट, गैर कृषि निर्धारण शुल्क आदि) की ₹0.33 करोड़ और अदत्त राशि पर ब्याज अर्थात् ₹0.45 करोड़ की राशि की मांग की। तटरक्षक ने दोबारा म्हाडा को इन सेवा शुल्कों पर ब्याज की छूट के लिए म्हाडा को एक प्रार्थना भेजी (नवम्बर 2007) परन्तु यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। अतः, तटरक्षक को विलम्ब शुल्क के साथ सेवा शुल्क पर ₹0.45 करोड़ का ब्याज भी म्हाडा को देना पड़ा (मार्च 2008)। जबकि संस्वीकृति में सेवा शुल्क के भुगतान का प्रावधान था,उसके भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप उस पर परिहार्य ब्याज शुल्क न्यायसंगत नहीं था अतः परिहार्य था। आगे म्हाडा को इस ब्याज के भुगतान का सक्षम वित्तीय प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं लिया गया।

संक्षेप में, संचार में कमियों के कारण म्हाडा द्वारा प्रस्तावित भुगतान शर्तों एवं घरों को खरीदने की संस्वीकृति में मिलान में विफलता से ₹3.97 करोड़ की दूसरी किस्त के भुगतान पर ₹3.74 करोड़ के विलम्ब शुल्क का भुगतान करना पड़ा। ₹0.98 करोड़ के विलम्ब शुल्क का भुगतान परिहार्य था क्योंकि यह दूसरी किस्त के भुगतान में देरी करने के कारण था। आगे, तटरक्षक द्वारा सेवा शुल्क के भुगतान से संबंधित संस्वीकृत प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप सेवा शुल्क पर ₹0.45 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। साथ ही, ₹4.19 करोड़ के इन भुगतानों के लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की संस्वीकृति नहीं ली गई।

मामला मंत्रालय को मई 2014 में भेजा गया; उनका उत्तर अपेक्षित था (सितम्बर 2014)।

5.2 निधियों का अवरोधन और लेखा परीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

प्रस्तावित नीति में विचलन के कारण पोत के सुपुर्दगी के पश्चात ₹1.19 करोड़ अव्यय निधि का प्रयोग करने के लिए मुख्यालय भारतीय तटरक्षक ने ऑन बोर्ड पुर्जो की वसूली के लिए मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से मॉग की, लेकिन मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ऑन बोर्ड पुर्जो की आपूर्ति नही कर सका, मुख्यालय भारतीय तटरक्षक द्वारा अव्यय निधि की वसूली के बजाय, शेष निधि पोत निर्माता के पास अधिकतम पॉच वर्षो के लिए रही। जिसकी वजह से ₹1.19 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ। लेखा परीक्षा की जॉच के अनुसार, शेष निधि पर ₹56.53 लाख का ब्याज वसूला गया।

विद्यमान कार्य प्रणाली[1] के अनुसार, निर्माणाधीन तटरक्षक पोतों के लिए ऑन बोर्ड पुर्जो की अधिप्राप्ति मूल उपकरण निर्माता की संस्तुति और भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अनुमोदन के आधार पर पोत निर्माता द्वारा की जाती है। आगे की नीति अनुबंधित करती है कि ऑन बोर्ड पुर्जो की अधिप्राप्ति प्रत्येक पोत के सुपुर्दगी से पहले किये जाने चाहिए। पोत सुपुर्दगी के पश्चात पोत निर्माता द्वारा ऑन बोर्ड पुर्जो की अधिप्राप्ति का कोई प्रावधान नही हैं।

लेखा परीक्षा जॉच (जुलाई 2012) ने खुलासा किया कि भारतीय तटरक्षक मुख्यालय ने उक्त अनुबंध से हटते हुए फास्ट पेट्रोल वेस्लस (एफ पी वी) की सुपुर्दगी के पश्चात पोत निर्माता से अतिरिक्त ओ बी एस की अधिप्राप्ति के लिए निवेदन किया क्योंकि अव्ययी निधि पोत निर्माता के पास थी। हॉलाकि पोत निर्माता ने पुर्जो की अधिप्राप्ति/सुपुर्दगी नही कि और निधि लगातार अत्यधिक लम्बे समय तक (मई 2007 से फरवरी 2012 तक) राजकोष से बाहर रही। पूर्ण विवरण इस प्रकार हैः-

रक्षा मंत्रालय ने ऑन बोर्ड पुर्जो, बेस और डिपो पुर्जो सहित पाँच फास्ट पेट्रोल वेस्लस (एफ पी वी) के अधिग्रहण करने की मंजूरी दी। तदानुसार, भारतीय तटरक्षक मुख्यालय ने मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल) के साथ एफ पी वी के निर्माण एवं सुपुर्दगी के लिए ₹194.28 करोड़ के कुल मूल्य, पांच पोतो के ओ बी सी ₹3.81 करोड़ मूल्य सहित, के लिए एक संविदा संपन्न किया (मार्च 2005)।

संविदा के अनुसार, ऑन बोर्ड स्पेयर्स की अधिप्राप्ति उपकरण सहित मालिक (आई सी जी एच क्यु) की आवश्यक्ता के अनुसार अनुबंध के अंर्तगत की कीमत पर की जाएगी और सुपुर्दगी

[1] सी.जी.एच.क्यू. सं0 एस.ए./0100/बी.एण्ड डी. पुर्जो/जेन., दि. 25/10/2007 द्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार

पोत के साथ होगी और पोत निर्माता (मेसर्स जी एस एल) कमीशन के समय ऑन बोर्ड स्पेयर्स की विस्तृत सूची की आपूर्ति करेगा।

अंतिम फास्ट पेट्रोल वेसल (एफ पी वी) की सुपुर्दगी सितम्बर 2006 मे किया गया और संविदा की आवश्यक्ता के अनुसार ऑन बोर्ड स्पेयर्स की पोत के साथ सुपुर्दगी मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सितम्बर 2006 तक पूरा किया गया। हॉलाकि ऑन बोर्ड पुर्जो के लिए उपलब्ध कुल ₹3.81 करोड़ में से केवल ₹2.61 करोड़ उपयोग किए गए। जबकि शेष अव्यय राशि ₹1.19 करोड़ मेसर्स जी.एस.एल. के पास थी। हमने अवलोकन किया कि ₹1.19 करोड़ की शेष अव्यय राशि की वसूली की बजाय भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के संविदा और अधिप्राप्ति की कायप्रणाली में विचलन के कारण अतिरिक्त ऑन बोर्ड स्पेयर्स की अधिप्राप्ति करने का निश्चय किया (मई 2007)। भारतीय तटरक्षक मुख्यालय ने मेसर्स जी.एस.एल. से ओबीएस की शेष बजट सीमा के अंदर अतिरिक्त ओ.बी.एस. की अधिप्राप्ति इस तथ्य को नजर अंदाज करके करे की पोत को पोत को सुपुर्द किया जा चुका है।

यह अवलोकित किया गया कि ₹1.19 करोड़ के ओ.बी.एस. की आपूर्ति अभी भी रूकी हुई थी (सितम्बर 2011 तक) तब भारतीय तटरक्षक मुख्यालय ने निर्णय लिया क्योंकि मेसर्स जी.एस.एल. ने वर्ष 2007 की कीमत के अनुसार पूर्जो की आपूर्ति की कार्यवाही आरंभ नही की थी इसलिए शेष राशी जारी परियोजना की अगली अदायगी से कटौती की जाएगी। तदनुसार, सी.जी.आर.पी.टी. गोवा ने प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक मुम्बई से अतिरिक्त ओ.बी.एस. की आपूर्ति न होने के कारण ₹1.19 करोड़ वसूल करें। आखिरकार शेष राशि मेसर्स जी.एस.एल. से फरवरी 2012 में वसूल किए गए। हमने देखा कि (जुलाई 2012 में) क्योंकि ₹1.19 करोड़ की निधि मेसर्स जी.एस.एल. के पास पाँच वर्ष से ज्यादा समय तक थी इस लिए 10 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹56.53 लाख[2] ब्याज मेसर्स जी.एस.एल से वसूल किया जाना चाहिए। यह राशि अप्रैल 2014 में उप रक्षा लेखा नियंत्रक गोवा द्वारा वसूल की गई।

मंत्रालय ने ब्याज के रूप में ₹56.53 लाख की, मेसर्स जी.एस.एल. से वसूली (अप्रैल 2014) स्वीकार करते हुए कहा कि (जून 2014) यह वसुली लेखा परीक्षा जॉच की संस्तुती पर की गई और यह भी कहा (जून 2014) कि ओ.बी.एस. की प्रारम्भिक सूची दो साल की संक्रिया में होने वाली खपत के तरीके के अनुसार तैयार की गई थी। और सीमित पूर्वानुमान के कारण ओ.बी.एस. का कम आकलन किया जा सका। मंत्रालय ने आगे यह तर्क दिया, क्योंकि संविदा

---

[2]

₹1.19 करोड़ का 10%	=	₹1190000/-
4 वर्षो के लिए ₹1190000/- (मई 2007 से अप्रैल 2011)	=	₹4760000/-
9 महीने के लिए ₹1190000/- (मई 2011 से जनवरी 2012)	=	₹892500/-
वसुल किया गया कुल व्याज	=	₹5652500/-

निर्धारित अधिकतम वित्तीय सीमा के अंदर अतिरिक्त ओ.बी.एस. कि अधिप्राप्ति का प्रतिबंध नही करती है, इसलिए संविदा के प्रावधानों में कोई विचलन नही है।

मंत्रालय का विवाद तर्क संगत नही हैं, चूकि भारतीय तटरक्षक मुख्यालय कार्यविधि से यह स्पष्ट है कि ओ.बी.एस. की आपूर्ति पोत के सुपुर्दगी से पहले होगी। इसलिए भारतीय तटरक्षक मुख्यालय की पोत सुपुर्दगी के पश्चात ओ.बी.एस. की अधिप्राप्ति की कार्यवाही गलत थी। इसके अतिरिक्त सुपुर्दगी संविदा की आवश्यकतानुसार कमीशन के समय ओ.बी.एस. की आपूर्ति पोत के साथ की जानी चाहिए।

इस प्रकार यद्यपि आई.सी.जी.एच.क्यू. की विशिष्ट नीति, जो अनुबंध करती है कि ओ.बी.एस. प्रत्येक पोत की सुपुर्दगी के पहले अधिप्राप्त किया जाना चाहिए। भारतीय तटरक्षक मुख्यालय इससे विचलित होकर केवल शेष अतिरिक्त निधि को उपयोग करने के लिए सभी पाँच संविदाकृत पोतों की सुपुर्दगी के बाद अतिरिक्त ओ.बी.एस. कि अधिप्राप्ति की, इसके अलावा सार्वजनिक निधि को लगभग पाँच सालों तक मेसर्स जी. एस. एल. के पास रहने दिया। ₹56.53 लाख ब्याज की वसूली (अप्रैल 2014 में) केवल लेखा परीक्षा के दृष्टांत पर हुई।

5.3 तटरक्षक अधिकारियों के अग्रिमों की वसूली मे चूक

तटरक्षक अधिकारियों को स्वीकृत किये गये कुल एक करोड से अधिक राशि की नियमित वसूली में चुक पायी गयी है। यह चूक कार्यालय प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुम्बई की प्रणाली में कमी से संबंधित है।

रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय (वित्त) के प्रशासनिक नियंत्रण मे काम करता है एवं प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) का कार्यालय, रक्षा लेखा विभाग के रक्षा लेखा महानियंत्रक के अंर्तगत एक कार्यालय है।

रक्षा लेखा विभाग के नियमपुस्तक के अनुसार, प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुम्बई का तटरक्षक अनुभाग सभी तटरक्षक अधिकारीयों, अधिनस्थ अधिकारियों, नाविकों एवं असैनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। विभागीय नियमपुस्तक के अनुसार, लेखा रक्षा नियंत्रक (नौसेना), मुम्बई का अग्रदाय अनुभाग मकान अग्रिम, मोटर कार/मोटर साइकिल अग्रिम, व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिमों आदि का भुगतान एवं उनकी सभी वसूली होने तक ब्याज सहित कें लिए उत्तरदायी हैं। इन वर्णित नियमों के विपरित, अप्रैल 2013 में जाँच में कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) के रिकार्ड से यह प्रकट हुआ कि कई तटरक्षक अधिकारियों एवं असैनिक तटरक्षक अधिकारियों को स्वीकृत

अग्रिमों की वसूली मे, ब्याज सहित वसूली में बहुत सी त्रुटियॉ पायी गयी ये त्रुटियॉ मकान अग्रिमों, व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिमों, मोटरकार अग्रिमों एवं स्कूटर अग्रिमों से संबंधित थी। लेखा परीक्षा नें मई 2013 में रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) को इस तरह की वसूली न किये जाने एवं राजकोष की रक्षा करने के सम्बंध में एक समीक्षा करने एवं समीक्षा के परिणामों को लेखा परीक्षा को सूचित करनें की सलाह दी गई।

मई-जून 2013 में रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) नें लेखा परीक्षा के इन विचारों पर अपनी सहमति दी थी और स्वीकृत अग्रिमों की पूरी वसूली उनकें व्याज सहित करने का आश्वासन दिया था। तदन्तर, रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) ने दिसम्बर 2013 में यह सूचित किया कि स्वीकृत विभिन्न अग्रिम जो अधिकारियों/नाविकों द्वारा लिये गये थे के व्याज की वसूली से संबंधित तटरक्षक अनुभाग के सभी अधिकारीयों के कथनो की समीक्षा की जा चुकी है एवं कोई त्रुटि नहीं पायी गयी है।

इसी बीच, मार्च-अप्रैल 2014 में लेखा परीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि स्थितियॉ सुधारी नही गई थी एव अग्रिमों की व्याज सहित वसूली मे त्रुटियॉ बरकरार पायी गई जो निम्नलिखित तालिका मे स्पष्ट है-

तालिका

क्रम संख्या	अग्रिमों के प्रकार	अग्रिम की मात्रा जहाँ त्रुटियॉ पायी गई	लेखा परीक्षा की आपत्तियॉ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मकान अग्रिम	₹58.26 लाख सहित 17 मामला	➢ व्याज की वसूली प्रभावी नही हुई (अंतिम वसूली नवम्बर 2003 में की गई) ➢ 5 मामलों में मकान अग्रिमों कें मूलधन की वसूली भी नही की गई।
2.	व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम	₹25.73 लाख 49 मामलें	➢ व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिमों के ब्याज की वसूली नही होना, नवम्बर 1997 मे दिये गयें एक अग्रिम सहित ➢ 5 मामलों मे व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिमों के मूलधन की वसूली भी नही की गई ➢ व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिमों की व्याज के वसूली कि किश्तों कि संख्यॉ को गलत दर्शाया जाना उदाहरण के लिएः ➢ 5 वें किस्त की जगह, 8 वें किस्त का दिखाया जाना ➢ 18 वें किस्त को 21 वें किस्त का दिखाया गया ये त्रुटियॉ ब्याज के गलत हिसाब लगाने का परिणाम थी।

3.	मोटरकार अग्रिम	₹22.95 लाख 19 मामलें	➢ मोटरकार के ब्याज की वसूली न होना- जबकि जून 1999 मे अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ➢ 7 मामलों में मूलधन कि राशि भी नही वसूली गई ➢ वसूली की किस्तों की संख्या का गलत दिखाया जाना उदाहरण के लिए: ➢ मोटरकार अग्रिम के 165 वी किस्त की जगह 168 वी किस्त का दिखाया जाना। ➢ 21 वी किस्त को 24 वी किस्त के रूप में दिखाना। ये त्रुटियॉ व्याज के गलत हिसाब लगाने का परिणाम थी।
4.	स्कूटर अग्रिम	₹4.05 लाख 17 मामलें	➢ व्याज की वसुली प्रभावी नही हुई (सबसे पुराना मामला मई 2003 का है।)
क्रम संख्या 1,2,3 एवं 4 का योग		लगभग ₹1.10 करोड	

जब मई 2014 में मामले को रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) कें समक्ष उठाया गया, तो मई 2014 में उन्होने यह स्वीकार किया कि स्थापित कम्प्यूटर प्रोग्राम में ऐसी कोई व्यवस्था नही थी जिससे कम्प्यूटर प्रोग्राम ब्याज की गणना करने के साथ उनकी वसूली भी कर सके और ब्याज की वसूली मूलधन की वसूली के बाद ही आरम्भ की जाती है। इसके अलावा, मई 2014 में यह बताया गया कि बकाया अग्रिमों की समीक्षा, जहॉ वसूली प्रभावी नही हुई है, किया जायेगा। रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) नें अपनी पद्धति प्रोग्राम में इस चूक को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि सुधारात्मक उपाय उठाये जायेगें।

वास्तव में, मूलधन एवं उनके ब्याज की वसूली का तंत्र अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की कमी से ग्रसित था।

इस प्रकार आरम्भिक आपत्तियों के उठाये जाने के एक वर्ष बाद भी, कोई प्रभावी कदम इस बारे मे रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) द्वारा नही उठाया गया। परिणामतः तटरक्षक अधिकारियों को दिये गये अग्रिमों की वसूली मे कुल लगभग ₹1.10 करोड की त्रुटियॉ जारी रही। मई 2014 में सिस्टम में जारी इन त्रुटियों कों एवं इनके समाधान के बारे में प्रधान रक्षा लेखा

नियंत्रक (नौसेना) ने सहमति व्यक्त की, यह केवल तब हुआ जब मार्च-अप्रैल 2014 में लेखा परीक्षा ने इस बारे मे दुबारा मामले को उठाया। फिर भी जुलाई 2014 तक, शेष ₹45.57 लाख रूपयें की राशि की वसूली शीघ्र सुधारात्मक कदमों कों उठानें की आवश्यकता को दर्शाती है।

इस विषय को मई 2014 मे मंत्रालय को सुपुर्द किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

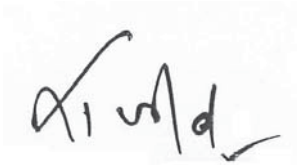

नई दिल्ली
दिनांक 27 नवम्बर 2014

(राजीव कुमार पाण्डेय)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वायु सेना

प्रतिहस्ताक्षरित

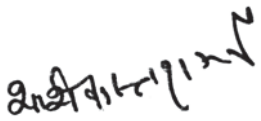

नई दिल्ली
दिनांक 27 नवम्बर 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक